रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1986/चैत्र 26, 1908
No. 198] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1986/CHAITRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1986

सं. 252/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 639(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क (अपील) नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (अपील) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) सीमाशुल्क (अपील) नियम, 1982 में,—

(क) प्ररूप सं. सी. ए -1, में क्रम सं. 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क—क्या अपीलार्थी चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाए।" ;

(ख) प्ररूप सं. सी. ए.-3 में क्रम सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9क—क्या अपीलार्थी चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाए।" ;

(ग) प्ररूप सं. सी. ए.-8 में क्रम सं. 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क—क्या अपीलार्थी चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाए।"।

[फा. सं. 492/3/82-सी शु-6]

आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1986

NO. 252|86-CUSTOMS

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Appeal) Rules, 1982, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs (Appeals) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Customs (Appeals) Rules, 1982,—

(a) in Form No. C.A.1, after Serial No. 6, the following shall be inserted namely :—

"6A. Whether the appellant wishes to be heard in person." ;

(b) in Form No. C.A.-3, after Serial No. 9, the following shall be inserted, namely :—

"9A. Whether the appellant wishes to be heard in person." ;

(c) in Form No. C.A.-8, after Serial No. 8, the following shall be inserted namely :—

"8A. Whether the appellant wishes to be heard in person.".

[F. No. 492|3|82-Cus. VI]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1986